## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः—मुकेश कुमार मीणा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः— 84/2019 (2019/00079) प्रार्थना पत्र

**उनवान**

1. राधादेवी पत्नि हीरालाल कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

**प्रार्थीया**

**बनाम**

1. मांगु आत्मज सैलाराम पिनारा निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. पन्ना आत्मज भुरालाल प्रजापत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. नैना आत्मज भुरालाल प्रजापत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. डालु आत्मज भुरालाल प्रजापत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. तेजी पत्नि भुरालाल प्रजापत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

**विपक्षीगण**

## प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. मनोज भाटी — अधिवक्ता प्रार्थीया

## निर्णय

दिनांक 23.10.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम बागोलिया पटवार हल्का बागोलिया तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1350 रकबा 0.23 हैक्ट. आराजी संख्या 1351 रकबा 0.20 हैक्ट. कुल किता 2 कुल रकबा 0.43 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 159 पर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत 2072 से 2075 तक मय नक्शा ट्रेस साथ प्रस्तुत हैं। प्रार्थीया की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीया को कास्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने दरम्यान पक्षकारान आपस मे बराबर सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है। जिससे प्रार्थीया को अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवाना आवश्यक हो गया है। विपक्षीगण सख्या 1 लगायत 5 प्रार्थीया की उक्त आराजियात के चारो तरफ के पड़ौसी होने से उन्हे पक्षकारान बनाये गये है। प्रार्थीया ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहा परन्तु विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थीया ने विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनांक 04.06.2019 को कहा लेकिन विपक्षीगण पत्थरगढ़ी कराने से इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। प्रार्थीया को विपक्षीगण के विरूद्व बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 04.06.2019 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधी प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 19.06.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा—फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार योग्य है। अतः

## आदेश

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम बागोलिया पटवार हल्का बागोलिया तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1350 रकबा 0.23 हैक्ट. आराजी संख्या 1351 रकबा 0.20 हैक्ट. कुल किता 2 कुल रकबा 0.43 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 159 पर स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीया सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीया इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/– अक्षरे सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीया द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 200/– अक्षरे दो सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

मुकेश कुमार मीणा
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 23.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

मुकेश कुमार मीणा
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा